



प्रेस विज्ञप्ति

01.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय-I ने मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ₹646.58 करोड़ (लगभग) मूल्य की 211 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में वाणिज्यिक कार्यालय परिसर, लग्जरी होटल, संचालित रिसॉर्ट, कृषि भूमि तथा आवासीय संपत्तियां शामिल हैं, जो महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा दादरा एवं नगर हवेली में स्थित हैं। ये संपत्तियां मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (पीसीएल), मेसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, उनकी विभिन्न सहायक संस्थाओं तथा परिवार के सदस्यों एवं लाभकारी स्वामियों के नाम पर धारित हैं।

ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध मुंबई के दादर पुलिस थाने (बाद में आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस ने तत्पश्चात दिनांक 31.12.2021 को माननीय विशेष एमपीआईडी न्यायालय, मुंबई के समक्ष आरोपपत्र दायर किया।

ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि इस मामले में शामिल व्यक्तियों ने पैनोरमिक समूह के अंतर्गत 46 कॉर्पोरेट संस्थाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया था। आरोपी संस्थाओं ने "सेल ऑफ रूम नाइट्स" और टाइमशेयर हॉलिडे सदस्यताओं की आड़ में अवैध पोंजी योजनाएं संचालित कीं तथा अवास्तविक रिटर्न का वादा करके पूरे भारत में 51 लाख से अधिक भोले-भाले निवेशकों को आकर्षित किया। मेसर्स पीसीएल ने वर्ष 1997-98 से 2017-18 के बीच निवेशकों से धोखाधड़ीपूर्वक ₹9,577 करोड़ एकत्र किए। कुल संग्रह में से केवल ₹2,858 करोड़ जमाकर्ताओं को वापस किए गए, जबकि ₹2,332 करोड़ एजेंट कमीशन के रूप में भुगतान किए गए, जिससे ₹4,387 करोड़ की अपराध से अर्जित आय बची, जिसे आरोपी संस्थाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपने पास रखा गया और अन्यत्र स्थानांतरित किया गया।

ईडी की जांच से आगे पता चला कि अवैध धनराशि को मेसर्स शगुन ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न शेल/डमी कंपनियों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से लेयरिंग की गई तथा मेसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड एवं उसकी घरेलू और विदेशी सहायक कंपनियों जैसी संबद्ध संस्थाओं में डाला गया। इसके पश्चात इन अपराध से अर्जित आय का उपयोग भारत एवं विदेशों में उच्च-मूल्य वाली अचल संपत्तियों, रिसॉर्ट एवं वाणिज्यिक इकाइयों को समूह की कंपनियों, निदेशकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित करने के लिए किया गया तथा उन्हें निष्कलंक संपत्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया।

जांच में पूर्व में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा एमपीआईडी प्राधिकारियों द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों के धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण के माध्यम से कानूनी कार्यवाही को विफल करने के सुनियोजित प्रयास का भी पता चला। ग्राम कळहे, पनवेल, रायगढ़ में स्थित 7.08 हेक्टेयर

क्षेत्रफल वाली एक अचल संपत्ति को सेबी तथा एमपीआईडी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा कुर्की आदेशों के बावजूद अनधिकृत रूप से बेच दिया गया। यह लेन-देन एक ऐसी संस्था की ओर से, जिसका पंजीकरण रद्द किया जा चुका था, मृत निदेशक स्वर्गीय उषा अरुण तारी (जिनका दिनांक 11.09.2018 को निधन हो गया था) के हस्ताक्षर वाले जाली बोर्ड संकल्प का उपयोग करके किया गया। इसलिए, संपत्तियों के आगे होने वाले अवैध हस्तांतरण/अंतरित किए जाने को रोकने के लिए पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत तत्काल अनंतिम कुर्की की कार्रवाई की गई।

इससे पूर्व, ईडी ने वर्ष 2025 में भारत के बाहर स्थित 30 अचल संपत्तियों को, जिनका मूल्य ₹54.31 करोड़ (लगभग) था, अनंतिम रूप से कुर्क किया था। ये संपत्तियां मेसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड की विदेशी सहायक कंपनियों तथा स्वर्गीय सुधीर मोरावेकर से संबंधित थीं। उक्त कुर्की की पुष्टि माननीय निर्णयन प्राधिकारी (पीएमएलए) द्वारा दिनांक 09.10.2025 को की गई थी।

तदनुसार, इस मामले में ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई अपराध से अर्जित आय का कुल मूल्य ₹700.89 करोड़ (लगभग) है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।